

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, चमोली

आदेश संख्या/बेसिक सेवायें/ 422 /स०अ०(वि०शि०)/2025-26 दिनांक 22 दिसम्बर 2025

प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत सहायक अध्यापक (विशेष शिक्षा) की भर्ती हेतु विज्ञप्ति

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि० -दो(2)/899-2025/7672/2025-26 दिनांक 03 नवम्बर 2025 एवं शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/109430/XXIV-A-1/2023-12983/2022 दिनांक 25-03-2023 एवं ज्ञाप संख्या-301551/XXIV-A-1/2025-12983/2022 दिनांक 28 मई 2025 के क्रम में उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 (समय-समय पर यथासंशोधित) एवं संशोधित सेवा नियमावली, 2025 में निहित प्राविधानों के अधीन जनपद चमोली के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में जनपद के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण हेतु सहायक अध्यापक प्राथमिक (विशेष शिक्षा) के पद पर चयन हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

जनपद चमोली में सहायक अध्यापक प्राथमिक (विशेष शिक्षा) के रिक्त पदों का विवरण निम्नवत है:-

कुल रिक्त पद (कालम 02 से 05 का योग)	आरक्षित पद					
	SC	ST	OBC	EWS	UR	PH
25	06	01	3	2	13	01

पात्र अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में भरकर आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियों सहित पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 15 जनवरी 2026 सांय 05:00 बजे तक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, चमोली के पते पर भेजेंगे। साधारण डाक/कोरियर/दस्ती से प्राप्त आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र के ऊपर लिफाफे पर मोटे अक्षरों में "सहायक अध्यापक प्राथमिक (विशेष शिक्षा), जनपद चमोली" के पद हेतु आवेदन पत्र, विज्ञप्ति संख्या अवश्य अंकित करेंगे।

विस्तृत विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र का प्रारूप विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड की वेबसाइट - schooleducation.uk.gov.in तथा जिला सूचना विज्ञान केन्द्र चमोली (NIC CHAMOLI) की वेबसाइट - Chamoli.nic.in पर उपलब्ध है।

(श्रीकान्त पुरोहित)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०,
चमोली।

पृ०सं०/ बेसिक सेवायें/4677-80/स०अ०(वि०शि०)/2025-26 दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01- निदेशक, प्रा०शि०, उत्तराखण्ड, देहरादून।

02- मुख्य शिक्षा अधिकारी, चमोली।

03- सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र, दैनिक जागरण/अमर उजाला/हिन्दुस्तान को इस आशय से कि प्रेषित की उक्त विज्ञप्ति, 08 सेमी X 08 सेमी आकार में अपने दैनिक लोकप्रिय समाचार पत्र में न्यूनतम शासकीय दरों पर राज्य संस्करण में विज्ञापित करने का कष्ट करेंगे तथा भुगतान हेतु बिल दो प्रतियों में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) चमोली को प्राप्त करायें।

(श्रीकान्त पुरोहित)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०,
चमोली।

कार्यालय— जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, चमोली

आदेश संख्या/बेसिक सेवायें/ 423 /संअ०(वि०शि०)/2025-26 दिनांक 22 दिसम्बर 2025

विस्तृत विज्ञप्ति

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/899-2025 /7672/2025-26 दिनांक 03 नवम्बर 2025 एवं शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/109430/XXIV-A-1/2023-12983/2022 दिनांक 25-03-2023 एवं ज्ञाप संख्या-301551/XXIV-A-1/2025-12983/2022 दिनांक 28 मई 2025 के क्रम में उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 (समय-समय पर यथासंशोधित) एवं संशोधित सेवा नियमावली, 2025 में निहित प्राविधानों के अधीन जनपद चमोली के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में जनपद के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण हेतु सहायक अध्यापक प्राथमिक (विशेष शिक्षा) के पद पर चयन हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	23 दिसम्बर 2025
ऑफलाइन आवेदन प्रेषित किये जाने की अन्तिम तिथि	15 जनवरी 2026
ऑफलाइन आवेदन प्रेषित किये जाने का पता	कार्यालय — जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, चमोली, गोपेश्वर

(क) रिक्तियों की स्थिति— सहायक अध्यापक प्राथमिक (विशेष शिक्षा) के रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है:—

कुल रिक्त पद (कालम 02 से 05 का योग)	आरक्षित पद					
	SC	ST	OBC	EWS	UR	PH
25	06	01	3	2	13	01

नोट— उत्तराखण्ड राज्य में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में अनुसार क्षेत्रीय आरक्षण अनुमन्य होंगे।

(ख) वेतनमान — 35400-112400 (लेवल-6)।

(ग) पात्रता— उत्तराखण्ड राज्य के ऐसे स्थायी निवासी, जिसने :-

- (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि उत्तीर्ण की हो।
 - (2) उत्तराखण्ड राजकीय प्राथमिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012 यथा संशोधित 2025 में निहित प्राविधानों के अधीन भारतीय पुनर्वास परिषद (आर०सी०आई०) द्वारा मान्यता प्राप्त द्विवर्षीय डी०एड० (विशेष शिक्षा) अथवा आर०सी०आई० द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष डिप्लोमा प्रशिक्षण उपाधि प्राप्त की हो, तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा-प्रथम उत्तीर्ण हो, (मूल अंक पत्र प्रस्तुत करने पर ही नियुक्ति पत्र निर्गत किया जायेगा)।
 - (3) इस प्रकार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण हेतु नियुक्त होने वाले सहायक अध्यापक प्राथमिक (विशेष शिक्षक) को नियुक्ति के उपरान्त एन०सी०टी०ई० द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 06 महीने का सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा।
- (घ) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु निम्नलिखित अनिवार्य/वांछनीय अर्हताओं में से एक होनी आवश्यक है :-
- (i) उत्तराखण्ड राज्य का स्थाई निवासी हो।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

(ii) अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड राज्य किसी भी जनपद के सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हो।

(iii) उत्तराखण्ड शासन कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-59 दिनांक 07.02.2019 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-164 दिनांक 28.06.2019 के अनुसार "उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट एवं इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो, परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवायें उत्तराखण्ड से बाहर स्थानान्तरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री, राज्याधीन सेवाओं में समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे, परन्तु यह और कि राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका/अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड से बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।"

- (ङ) आरक्षण— आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य होगा।
- (च) अभ्यर्थी की आयु— 01 जुलाई 2025 को अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक न हो। परन्तु उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया है, ऐसे अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जायेगी।
- (छ) जो अभ्यर्थी, विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जायेंगे, उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा उनका नियुक्ति हेतु कोई दावा मान्य नहीं किया जायेगा।
- (ज) अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के सभी स्तम्भ स्पष्टतः पूर्ण रूप से भरे होने चाहिए तथा किसी भी स्तम्भ को अपूर्ण या रिक्त न छोड़े। अस्पष्ट, संदिग्ध तथा भ्रामक होने की दशा में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्रस्तुत न किए जाने की दशा में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- (झ) सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो : परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका यह समाधान हो कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।
- (ञ) आवेदन— अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करेंगे। आवेदन पत्र के साथ अपने वांछित शैक्षिक प्रमाण पत्रों की सुस्पष्ट पठनीय स्वप्रमाणित छाया प्रतियों के साथ (आवेदन पत्र में शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता के विवरण में लिखित एवं प्रयोगात्मक विषय के प्राप्तांक तथा पूर्णांक पृथक-पृथक स्पष्ट रूप में अंकित करें) स्वयं का पता लिखा लिफाफा 50/- के डाक टिकट सहित संलग्न कर प्रेषित करेंगे। चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र की अंकनाओं व संलग्न शैक्षिक/प्रशिक्षण व अन्य प्रमाण पत्रों की जाँच सम्बन्धित के मूल अभिलेखों से की जायेगी, जिसकी तिथि के सम्बन्ध में पृथक से विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया जायेगा।
- (ट) अन्तिम तिथि — पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र पंजीकृत/स्पीड पोस्ट डाक द्वारा दिनांक 15 जनवरी 2026 सायं 05 बजे तक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि), चमोली, गोपेश्वर के कार्यालय में स्वीकार किये जायेंगे। नियत तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। साधारण डाक/कोरियर/दस्ती से प्राप्त आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होंगे। आवेदन पत्र के ऊपर लिफाफे पर मोटे अक्षरों में "सहायक अध्यापक प्राथमिक (विशेष शिक्षा)

fat

Er

2

“जनपद— चमोली” हेतु आवेदन पत्र विज्ञप्ति संख्या सहित” अवश्य अंकित करें। डाकघर द्वारा किये गये विलम्ब हेतु अद्योहस्ताक्षरी का कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

(श्रीकान्त पुरोहित)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०,
चमोली।

कार्यालय — जिला शिक्षा अधिकारी प्रा०शि० चमोली

पृ०सं०/बेसिक सेवायें/ 4681-86 /स०अ०(वि०शि०)/2025-26 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि — निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— निदेशक, प्रा०शि०, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2— अपर निदेशक, प्रा०शि०, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 3— जिलाधिकारी, चमोली।
- 4— जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जिला, जिला सूचना विज्ञान केन्द्र, गोपेश्वर, चमोली को इस निवेदन के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को NIC चमोली की वेबसाइट पर प्रकाशित करने का कष्ट करेंगे।
- 5— पोर्टल प्रभारी, स्कूल एजुकेशन पोर्टल, शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस निवेदन के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने का कष्ट करेंगे।
- 6— कार्यालय आदेश पत्रावली।

(श्रीकान्त पुरोहित)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०,
चमोली।

**सहायक अध्यापक प्राथमिक (विशेष शिक्षक) के जनपद स्तर पर चयन हेतु
आवेदन पत्र (2025)**

(आवेदन पत्र अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा स्वयं स्वच्छ भरा जाय। कटिंग एवं ओवर्राइटिंग मान्य नहीं होगी। नाम एवं पिता का नाम तथा जन्मतिथि हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार लिखी जाय। अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण एवं अस्पष्ट आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।)

अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का
पासपोर्ट साइज का
स्वहस्ताक्षरित फोटो
चिपकाया जाय। हस्ताक्षर
इस प्रकार से किये जाय
कि हस्ताक्षर का आधा
भाग फोटो पर एवं आधा
आवेदन पत्र पर रहे

1- अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का नाम (हिन्दी में).....

(अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में).....

2- पिता का नाम (हिन्दी में).....

(अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में).....

3- पति का नाम (विवाहित महिला हेतु).....

(अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में).....

4- जन्मतिथि (हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार)

(DD)

(MM)

(YYYY)

(शब्दों में)

5- दिनांक 01-07-2025 को अभ्यर्थी की आयु -वर्षमाहदिन

6- (अ) गृह जनपद का नाम व पता (थाना सहित हिन्दी में)

(अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में)

7- पत्र व्यवहार का पता (थाना सहित)

(अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में)

8- टेलीफोन नम्बर यदि हो (एस०टी०डी० कोड सहित)

मोबाइल नम्बर यदि हो

9- लिंग कोड (महिला-1 पुरुष-2)

10- आरक्षण कोड (सामान्य-1, अनुसूचित जाति-2, अनुसूचित जनजाति-3, अन्य पिछड़ा वर्ग-4,

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-5) (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

11- क्षैतिज आरक्षण कोड (दिव्यांग-6, स्व०संग्राम सेनानी आश्रित-7, भूतपूर्व सैनिक (स्वयं)-8, महिला-9,

अनाथ -10) (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

12- सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण संख्या एवं दिनांक -

13- अभ्यर्थी की अध्यापक पात्रता परीक्षा एवं शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता का विवरण :

परीक्षा		बोर्ड एवं विश्वविद्यालय /संस्थान का नाम	परीक्षा का वर्ष	अनुक्रमांक	पूर्णांक	प्राप्तांक
हाईस्कूल						
इण्टरमीडिएट						
स्नातक						
डी०एड० (विशेष शिक्षा)/आर०सी०आई० द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष डिप्लोमा	सैद्धान्तिक					
	प्रयोगात्मक					
योग						
अध्यापक पात्रता परीक्षा (1 से 5 तक)						

14-संलग्नकों का विवरण :-

1.
4.
7.

2.
5.
8.

3.
6.
9.

दिनांक:-

स्थान:-

अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का पठनीय हस्ताक्षर

नाम :

पता :

घोषणा

मैं शपथ पूर्वक अभिकथन करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण सत्य है तथा आवेदन पत्र प्रेषित करने के पूर्व समस्त अंकित विवरण का मेरे द्वारा परीक्षण कर लिया गया है एवं आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं से संदर्भित समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण व आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण पत्र मेरे द्वारा स्वप्रमाणित कर, आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिये हैं। चयन के पूर्व अथवा बाद में जांचोपरान्त कोई भी विवरण अथवा प्रमाण पत्र असत्य अथवा गलत पाये जाने पर सम्बन्धित प्राधिकारी को मेरा अभ्यर्थन निरस्त करने तथा मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार होगा। आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं से सम्बन्धित मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्र आवेदन करने की तिथि से पूर्व से मेरे पास उपलब्ध है।

दिनांक:-

स्थान:-

अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का पठनीय हस्ताक्षर

नाम :

पता :